

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011—ज्येष्ठ 20, शक 1933

गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 जून 2011

#### शस्त्र लायसेंस प्रक्रियण शुल्क का निर्धारण

क्र. एफ. 12-29-2011-बी-1-दो.—भारतीय आयुध नियम, 1962 के नियम 57 के तहत नवीन शस्त्र लायसेंस/नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत शुल्क लिया जाता है.

(2) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नवीन शस्त्र लायसेंस/नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त नवीन शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु प्रक्रियण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :—

क्र. (1)	हथियार (2)	नये लायसेंस (3)	नवीनीकरण (4)
1	वर्जित हथियार एवं अवर्जित हथियार	रुपये 5,000/-	रुपये 5,000/-
2	अवर्जित रायफल	रुपये 2,000/-	रुपये 2,000/-
3	बी. एल. गन	रुपये 500/-	रुपये 500/-
4	एम. एल. गन	रुपये 200/-	रुपये 200/-

(3) उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियण शुल्क 0055-पुलिस (800) अन्य प्राप्तियां-प्रक्रियण शुल्क राजस्व मद में जमा होगा.

(4) उपर्युक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक रंजन, सचिव.